



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

R-3026-PBR/14

रटो प्रको :-----

प्रस्तुति दिनांक:---

पुनरीक्षण कर्ता ~~XX~~-आवेदिका :-- श्रीमति गीताबाई देवा बाबूलाल ब्राह्मण
निवासी ग्राम रहटाकला तहसीरा ~~सिरालवी~~ ~~सिरालवी~~ जिला
हरदा.

श्री. ओ. पी. शर्मा जी
अभिभाषक अश आज दिनांक
28-8-14 को भोपाल कैम्प पर

विरुद्ध

उस्तुत
Gim
28-8-14

उत्तरवादी : अनावेदक :--- ब्रजमोहन आठो रामदयाल गूजर

निवासी ग्राम बंदी मुहाडिया तहसीरा लखी जिला
हरदा म.प्र.

पुनरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. प्र. म.प्र. रटो सं.

उपरोक्त पुनरीक्षण कर्ता : आवेदिका श्रीमान

राजस्व निरीक्षक महोदय द्वारा रटो प्रको 38अ/12 वर्ष 2011-12 मे

पारित सीमा केन आदेश दिनांक 23-5-12 एवं प्रतिवेदन पंचनामा कार्यवाही

दिनांक ~~20-5-12~~ ²⁰⁻⁵⁻¹² से ~~सुब्य~~ ^{सुब्य} होकर निम्न तथ्यो एवं आधारो के अतिरिक्त

अन्य आधारो पर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करत है :--

30-8-14

13.1.2015

आर्वाइका की ओर से लूचना
उपरोक्त कोई भी उपास्थित नहीं।
तीन बार पुकार लगाई गई, फिर
भी कोई उपास्थित नहीं। अतः
प्रमाण अदम्य पैरवी में निरस्त
किया जाता है।

५०
अध्यक्ष

13.1.15
कमिश्नर

क्या पकड़ना
१२/१
२५।